



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- चित्तौड़गढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ राजकीय चिकित्सक 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 26 मई, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डॉ. श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजकीय चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के प्रसव ऑपरेशन की एवज में डॉ. श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजकीय चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा 4 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी चित्तौड़गढ़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सांदू के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ, राजकीय चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपिया से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।